

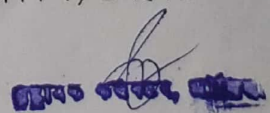
प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं एक पक्षीय कार्यावाही।

चाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट. व धारा 136 आर.
एल.आर.एक्ट.

— निर्णय —

दिनांक — 27.1.21

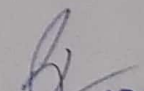
स प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम
की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि
एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की पुस्तेनी व कब्जा काश्त की भूमि आई
। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की
भूमि थी जो पूर्व खातेदार हेमला पुत्र श्री गंगा व अलिया पुत्र श्री जेठा के
खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024
अंकित है । उक्त भूमि के अलिया फौत होने पर उनके वारिसान वादीगण
दर्ज नहीं करके तत्कालीन हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से नाम दर्ज
समय प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के पूर्वजों के नाम अंकित कर दिये
वैलियत भी गलत अंकित की गई जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड में
चले आ रहे हैं । जब कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 से
कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही कभी था इसलिए वादीगण
दीगण संख्या 5 से 12 के नाम राजस्व रेकर्ड में हटवा कर वादीगण अपने
दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त भूमि के जमाबन्दी सम्वत 2021 से
के अनुसार वादीगण के पूर्वज अलिया का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण
1 से 4 के पूर्वज हेमला का 1/2 हिस्सा है । आज दिन भी वादीगण 1/2
पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्से की भूमि के मौके पर
ज है । प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काश्त
है । वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि
जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के स्थान पर वादीगण अपना 1/2 हिस्सा
करवा कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाने के अधिकारी हैं
वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें केवल मात्र
स्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण
को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर बेचान फरोक्त करने की धमकीया दे रहे
जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त भूमि
संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का अपने 1/2 हिस्से



पर शान्ति पूर्वक कब्जा काप्त होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण बनता है यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष मे बनता है । अन्त मे वादीगण म खबाणिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के राजस्व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके स्थान पर को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाकर बाई मीट्स एण्ड से विभाजन किये जाने का निवेदन किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी ने दखलन्दाजी नही करे , वादीगण को बेदखल नही करे और न ही किसी करावे ।

वादी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन किया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल मे । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही किसी ने वकालातनामा पेश किया और न ही उक्त वाद का खण्डन किया है प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । वादीगण की साक्ष्य त्र ली गई तथा गवाह पी. डब्ल्यू -1 गोपाराम, पी.डब्ल्यू 2- चूनाराम, पी. -3 पेमाराम पी डब्ल्यू -4 राजुराम , पी डब्ल्यू -5 मूलाराम का परीक्षित गया व दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

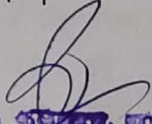
हमने वकील वादीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक न किया एवं वकील अधिवक्ता की लिखत बहस व राजस्व रेकर्ड का न किया । वाद पत्र मे वादीगण द्वारा बताये गये हक हिस्से के अनुसार ग को ग्राम खबाणिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के रेकर्ड मे प्रतिवादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके पर वादीगण को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित जाना उचित प्रतित होता है वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जाना उचित प्रतीत है इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । राजस्व रेकर्ड मे बन्तवारा के तहत विभाजन करवाना चाहते हैं ।


[Signature]

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम
गणिया के खसरा नम्बर 45 रकबा 49 बीघा 7 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे
वादीगण संख्या 5 से 12 के नाम डिलीट किये जाकर उनके स्थान पर वादीगण
1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड मे
ज दरामद किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से रास्ता रखते हुए विभाजन
जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय
जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की विभाजित भूमि
प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे । तहसीलदार औसिया के
द्वारा प्रस्ताव के अनुसार तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो ।




तहसीलदार औसिया